सूचना आयोग प्रकाशन : 6/2006
UIC Publication : 6/2006

प्रथम संस्करण : 5000

सत्यमेव जयते

# सूचना कु अधिकार अधिनियम 2005

## आपन जु जाणण चाही या जु सवाल अक्सर करे जांदा

Most Frequently Asked Questions



उत्तरांचल सूचना आयोग
सेक्टर 1, डी-10, डिफेन्स कॉलोनी
देहरादून-248001 दूरभाष:0135-2666778,
फैक्स : 0135-2666779

– निवेदन –

सूचना का अधिकार का बारा म सरल भाषा म जानकारी और वे तईं और उपयोगी और सरल बणौण का बाबत अपणा सुझाव देवा/भेजा।

**सवाल 1** यू कानून कबारी बिटी लागू होई?

**जवाब 1** यू कानून 12 अक्टूबर 2005 से लागू होईगी।

**सवाल 2** हमारा देष भारतवर्श म यू कानून कख–कख लागू छ?

**जवाब 2** जम्मू व कष्मीर राज्य तंई छोड़ीक, यू कानून पूरा देष म लागू छ।

**सवाल 3** सूचना कू मतलब क्या होंदू?

**जवाब 3** सूचना कू मतलब कई भी, इनी सामग्री से छ, जू चाहे रिकार्ड का रूप म हो, अभिलेख का रूप म हो, मैमो का रूप म हो या जू अजकाल ई–मेल होंदी वूं, ई–मेल का रूप म हो, ज्यूं म विचारों तंई बताई गयी हो, सुझाव दिया गयां हों, प्रेस विज्ञप्तियां जारी कराईं हों, गाड़ियों की लौग बुक, परियोजनाओं कू अनुबन्ध (Contract), रिपोर्ट, कागजात, नमूना, मॉडल या इलैक्ट्रानिक रूप म, कै भी तरह का आंकड़ा, जू सामणी रखे जांदा, बताये जांदा वू सभ्भी सूचना की परिभाशा म आई जांदा।

**सवाल 4** सूचना कू अधिकार कू मतलब क्या छ, या ये से क्या मतलब निकलदू?

**जवाब 4**

1. यू छ योजनाओं तंई, रिकार्डों तंई, और इन्नी कई प्रकार का लिख्यों–छप्यों तंई, देखण, पढ़ण, जाणणा, जांच परख करणा कू अधिकार।
2. रिकार्ड या लिख्यां–छप्यां कागजातों से जू अभिलेख छ, वूं से कई खास बिंदू, त्यूं कि ही नकल, या वूं की अधिकारिक नकल, प्रतिलिपियां तंई लेणा कू, पौणा कू अधिकार।
3. बणौणा मा लग्यूं या, कई और सम्बन्धित सामान कू प्रमाणित करयूं सैम्पल/नमूना तंई लेणा कू अधिकार।

**सवाल 5** हम तंई सूचना लेणा क, क्या करन होलू और क्या तौर तरीका अपणौणा होला?

**जवाब 5** आपकी मांगी गयी सूचना का हिसाब से जू भी सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी होलू, वे तंई आप लिखी क, या इलैक्ट्रोनिक माध्यम से अंग्रेजी म, हिन्दी म, या स्थानीय सरकारी कामकाज की राजकीय भाशा म एक प्रार्थना पत्र दीक, यू साफ–साफ ठीक–ठीक बतौला, कि आप तंई कई तरह की सूचना की जरूरत छ। ये कू पूरू विवरण आप तंई प्रार्थना पत्र म देणू जरूरी छ।

**सवाल 6** मांगी सूचना तंई देणा, पंहुचौणा की समय सीमा क्या रखीं छ– मतलब मांगणा का कतना समय का भीतर–भीतर सूचना दी दिये जाण चैंदी?

**जवाब 6**

1. प्रार्थना पत्र देणा से 30 दिन का भीतर–भीतर सूचना दी दिये जाण चैंदी।
2. यदि क्वी मांगी गयी सूचना इनी हो कि जैकू संबंध कैई व्यक्ति का जीवन से या स्वतंत्रता से छ, त इना हालत म, प्रार्थना का देण का 48 घण्टा का भीतर–भीतर सूचना तंई देण होलू।
3. अब यदि जू भी लोक सूचना अधिकारी छ, यदि सूचना तंई वक्त का भीतर–भीतर, जू तय छ, सूचना नीं देंदू तब वे की यीं गल्ती कू मतलब यू माने जालू, कि वेन सूचना देणा से मना करी याली। जै का खिलाफ तैंका बाद वाला/एकदम वे से बड़ा अधिकारी का पास वू व्यक्ति जैन सूचना मांगी छई, अपणी पहली अपील या अनुरोध तंई रख सकदू।

**सवाल 7** यां की फीस या षुल्क कतना छ?

**जवाब 7**

1. सूचना पौणा का वास्ता, जू भी फीस तय किये जाऊ, वू ठीक होण चैंदी, जायज होण चैंदी। उत्तरांचल सरकार

न यू तय करी कि, ये मामला म वीं का राज्य म फीस वूई होली, जू भारत सरकार द्वारा तय हो, जू कि एक आवेदन का वास्ता 10 रुपये छ।

2. जन बोले गई कि जूं परिवारों की पहचान गरीबी रेखा का नीस का, बेढ़ का, परिवारों का, रूप म होयीं छ, वूं तंई मांगी सूचना तंई पौणा क, कई भी तरह की फीस नी देण होली।

**सवाल 8** इना मामला कू–कू होला, ज्यूं म, सूचना पौणा कू जू हमारू प्रार्थना पत्र छ, वू अस्वीकार किये जाई सकूद–मतलब कार्यवाही के लिए नी लिये जालू?

**जवाब 8**

1. जू सूचना अधिनियम छ, वे की धारा 8 म इनी छूटों कू विवरण दिये गये छ, ज्यूं म मांगे गई सूचना तंई देणू जरूरी नी होलू। यदि आपन जीं सूचना पौणा कू आवेदन करयूं छ, वू इन्नी ही विशयों कू छ, त, तैका आधार पर, सूचना देण का ना किये जाई सकदू।
2. ज्यूं मामलों म, राज्य का अलावा, कैं व्यक्ति कू कापीराइट कू जू अधिकार छ, वे तंई पार किये जांदू, वे कू उल्लंघन होंदू यां की व्यवस्था धारा 1 म दिनी छ। यू म कापीराइट का अधिकार तंई ज्यादा असर करण वालु प्रभावी माने

गई छ।

**सवाल 9** ये अधिनियम का भीतर जू लोक प्राधिकारी (Public Authority) छ, वे से क्या–क्या करें जाणा की आषा करे जांदी? ये अधिनियम का भीतर, कू–कू काम वूं तंई अपणाप ही करण छ?

**जवाब 9** सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) बी, और धारा, 4(2), 4(3), और

4(4) का भीतर, हर एक लोक प्राधिकारी तंई 17 बिन्दुओं पर, अपणा आप, बिना कैका द्वारा बौल्यां, या मांग्या ही (Suomottu), सूचना, सबका सामणी रखण छ।

**सवाल 10** लोक प्राधिकारी कू, क्या मतलब छ?

**जवाब 10** लोक प्राधिकारी एक इनी संस्था, या स्वायत्तषासी संगठन छ, जै तंई निस बताया गया, कैई भी अवस्था से स्थापित/गठित रखें या बणाये गये हों–

1. भारत का संविधान से या
2. संसद का बणायां, कैई कानून से या
3. कैई भी प्रान्त का विधान सभा का बणायां कैई कानून से
4. संबंधित, जू भी सरकार छ तीं का आदेष या उद्घोशणा से, जैम निस बतायां षामिल होला–

   (अ) इन संगठन, ज्यूं कू मालिक होणा कू काम, या वूं पर नियंत्रण करणा कू काम, या वू म पर्याप्त मात्रा म पैसा लगौणा कू काम सरकार न करी हो या

   (ब) इनां गैर सरकारी संगठन जूं तंई सीधा तौर पर, या परोक्ष रूप म पर्याप्त मात्रा म पैसा धन दी गई हो।

**सवाल 11** लोक सूचना अधिकारी कु छ?

**जवाब 11** सूचना का अधिकार अधिनियम तंई लागूं करण क, हर एक लोक प्राधिकारी द्वारा जरूरत का मुताबिक लोक सूचना अधिकारियों तंई नामजद करयूं छ। यूं लोक सूचना अधिकारियों तंई षासन सचिवालय स्तर पर, विभागाध्यक्ष स्तर पर कमिष्नरी स्तर पर, जिला स्तर पर, तथा आवष्यकता अनुसार जिला से निस का स्तरों पर भी नामजद करेगी छ।

**सवाल 12** लोकू सूचना अधिकारियों की क्या जिम्मेदारियां होली?

**जवाब 12** जू भी आम लोग छ, जनता छ, वूं से जूं भी प्रार्थना पत्र मिल्यां छ, यूं का अनुसार, वूं तई जू भी सूचना देण छ, वीं सूचना देणा की जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी की छ। यदि प्रार्थना करण वालू खुद लिखी का प्रार्थना नी दी सकद, त यां का खातिर वे व्यक्ति तंई जू भी ठीक जरूरी मदद देण हो, वीं

मदद तंई देणा की जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी की छ। लोक सूचना अधिकारी प्रार्थना तंई लिख्यां म लेणा म सहायता करलू।

**सवाल 13** राज्य सूचना आयोग कू गठन कई ढंग से होंदू?

**जवाब 13** राज्य सूचना आयोग कू गठन, राज्य सरकार करदी। व, ये तंई सरकारी गजट म

प्रकाषि करीक करदी। राज्य सूचना आयोग म, एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कू पद होंदू और ये म, राज्य का राज्यपाल, ज्यादा से ज्यादा 10 सूचना आयुक्तों तंई तैनात करी सकदा।

**सवाल 14** राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों तंई बणौण कूं, नियुक्त करना कू जू और तरीका होंदू प्रक्रिया होंदी वा क्या छ तथा यूं का वास्ता व्यक्तियों म क्या–क्या गुण या अर्हतायें होण चैदी?

**जवाब 14**

1. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों तंई चुनण का वास्ता, एक चुनण वाली समिति होंदी। यीं समिति की अध्यक्षता खुद ही मुख्यमंत्री करदा और बाकी दूई सदस्यों म एक सदस्य प्रपिपक्ष का नेता होंदा, और दूसरा सदस्य तंई मुख्यमंत्री नामजद करदा।
2. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, इन लोग होंदा जू सार्वजनिक क्षेत्र म मतलब सबकी खातिर काम करणा वाला क्षेत्र म, बहुत अच्छु काम करयां, योग्यता वाला होंदा। यूं तंई कानून, विज्ञान और तकनीकी, सामाजिक काम म, प्रबन्धन म, चिट्ठी पत्री लिखण म, लिखत–पढ़त म संचार म, या प्रषासन और अभिषासन, मतलब समझ ल्यावा, षासन का काम काज चलौण म विषेशज्ञता होण चैंदी।

**सवाल 15** राज्य सूचना आयोग का पास क्या क्या ताकत छ और वे का क्या काम छ?

**जवाब 15**

1. राज्य सूचना आयोग की या जिम्मेदारी छ कि वू कै भी इना व्यक्ति की षिकायत अपणा पास लेलू जै तंई –
   क. अफू तंई सूचना पौणा का खातिर, प्रार्थना पत्र देणा म सफलता यां का वैन भी मिली किलै कि संबन्धित लोक सूचना अधिकारी कू नाम अभी नी बातये गये छ।
   ख. मांगी जाण वाली सूचना देणा से मनाही कर दिए गई।
2. मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त तंई सिविल कोर्ट की निस लिखीं, ताकत दिये गई छः
   क. संबधित पक्षों तंई मौजूद होण क सम्मन भेजणू और वूं तंई ये कू निर्देष देणू की वू बोलीक या लिखीक, षपथ लीक बयान देऊँ। या वूं तंई कुछ लिख्यां कागज पत्र, अभिलेख या कैई सामान तंई सामणी रखण क निर्देष देणू, बोलणू।
   ख. अभिलेखों कू निरीक्षण, जाँच पड़ताल किये जाऊ, या वूं की खोज किये जाऊ, यूं क निर्देष जारी करणू।
   ग. षपथ पत्र पर, प्रमाण पत्र लेणू।
   घ. कई भी न्यायालय या कार्यालय से अभिलेख या वूं की नकलों तंई अपणा

खातिर ली लेणू अधिग्रहण करणू।

ङ. जू साक्षी हो वूं तंई या अभिलेखों की जांच पड़ताल का खातिर सम्मन जारी करणू या,

च. कूई भी इनू और काम, जू अधिनियम का भीतर, कानूनी तौर पर करणा का खातिर तय करे गई हो।

**सवाल 16** आयोग की प्रगति रिपोर्ट देणा का तौर तरीका, प्रक्रिया क्या छ?

**जवाब 16** उत्तरांचल सूचना आयोग, उत्तरांचल सरकार तंई एक सालाना प्रगति रिपोर्ट भेजलू। राज्य का हर एक विभाग की या जिम्मेदारी छ कि वू हर एक लोक प्राधिकारी से यी

जानकारी लेऊं कि सूचना का अधिकार की भीतर वूं से संबंधित वे तंई कतना अनुरोध पत्र मिली। वू म से वेन कतनों तंई नी मानी और कुल कतना अपीलें तैयी दायर करे । लोक सूचना अधिकारियों का खिलाफ कुल कतना प्रषासनिक कार्यवाही करे गई और फीस का तौर पर कुल कतना आय होई। उत्तरांचल सूचना आयोग से मिली सालाना रिपोर्ट तंई राज्य सरकार विधान सभा का पटल पर रखली।

**सवाल 17** कैई प्रकार की सूचना तंई सामणी बतौण कनी रखे जाई सकदू?

**जवाब 17** इनी सूचना नी प्रगट किये जाई सकदी, ज्यीं तंई प्रकट करने से भारत की प्रभुता और अखण्डता राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों या दूसरा देषों से सम्बन्धों पर बुरू असर पड्दू हो। या इनी सूचना भी जू कई अपराध तंई करणा क उकसांदी हो, नी प्रगट किये जाई सकदी।

**सवाल 18** कतना साल पुराणी, या कतखा पहली की सूचना मांगी जई सकदी?

**जवाब 18** आवेदन करना की तारीख से 20 साल पहली की तक सूचना मांगे जई सकदी?

**सवाल 19** क्या सूचना लेणा का खातिर कई लोग मिलीक भी आवेदन कर सकदा?

**जवाब 19** जी हाँ।